संख्या- 4/2023/4/2023 /001-22-4099-38-2021-1538567

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2022-23 में विभिन्न कारागारों में गोदामों, सर्किलवाल एवं पार्टीशन, कैम्पस, बाउण्ड्री वाल, आन्तरिक सड़क आदि के निर्माण/मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2070/नम-1/2/3/2022-23, दिनांक-23.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में विभिन्न कारागारों में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रूपये 474.79 लाख (रूपया चार करोड़ चौहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र 0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार सुल्तानपुर	जीर्ण-शीर्ण सर्किलवाल एवं पार्टीशनवाल का पुर्ननिर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	99 .50	99 .50
2	जिला कारागार , कानपुर देहात	03 नग गोदामों का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	35.21	35.21
3	जे0टी0आई0 लखनऊ	04 नग गोदामों का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	55.75	55.75
4	जिला कारागार गाजियाबाद	कैम्पस बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	98.41	98.41
5	जिला कारागार उन्नाव	आवासों हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	19.67	19.67
6	जिला कारागार उन्नाव	आन्तरिक सड़क की मरम्मत का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	70.91	70.91
7	जिला कारागार गोण्डा	03 नग गोदामों का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	34.95	34.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	जिला कारागार देवरिया	एकल कक्षों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	26.12	26.12
9	जिला कारागार ललितपुर	पुलिस चौकी का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	28.35	28.35
10	जिला कारागार बिजनौर	शस्त्रागार की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	5.92	5.92
			योग-	**474 .79**	**474 .79**

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए ।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का प्रशिक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(13) निर्माणकार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाले धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए ।

(14 महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(15) प्रश्न गत कार्य पूर्व निर्धारित लागत पर ही नियत समय सीमान्तार्गत सम्पन्न कराया जायेगा तथा लागत मे किसी तरह का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,74,79,000 (रुपये चार करोड़ चौहत्तर लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-4/2023/66(1)/2023 /001-22-4099-38-2021-1538567, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स् कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, सुल्तानपुर/कानपुर देहात/लखनऊ/गाजियाबाद/उन्नाव/गोण्डा/देवरिया/ललितपुर/बिजनौर

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार सुल्तानपुर/कानपुर देहात/ गाजियाबाद/ उन्नाव/गोण्डा / देवरिया/ललितपुर/बिजनौर

(6) अपर महानिरीक्षक कारागार, प्रशिक्षण एवं सुधार (जे0टी0आई0) लखनऊ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्तर (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(12) गार्ड फाईल।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।